जेपीआर–5–305

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(वाणिज्यिक शाखा)

क्र0जेपीडी / उमुअ(सीपीएण्डआरई) / अधी.अभि.(वा0) / पत्रा.सी. I / एफ.4(251)पार्ट–III / प्रे0 2109 दि0 17-11-05

आदेश

विषय – कृषि श्रेणी के बिलों का तदर्थ आधार पर बिलों का भुगतान स्वीकार करने के संबंध में।

पूर्व में आदेश क्र0 1726 दिनांक 12.09.05 (जेपीआर–5–292) एवं क्रमांक 2089 दि0 11.11.05 (जेपीआर–5–304) के द्वारा यह हिदायत दी गई थी कि सामान्य श्रेणी (मीटर्ड) (कोड–4000), सामान्य श्रेणी फ्लेट रेट (कोड–4100) एवं विशेष श्रेणी (फार्म हाऊस के अतिरिक्त) के कृषि उपभोक्ताओं के बिजली के बिल तदर्थ आधार पर पुरानी दरों पर (टैरिफ–2001) के अनुसार जमा कराये जा सकेंगे। उक्त आदेश में यह भी बताया गया था कि यद्यपि ये बिल नई दरों पर जारी किये जायेंगे किन्तु किसानों से नई दरों पर भुगतान के लिए जोर नहीं दिया जाये एवं भुगतान पुरानी दरों पर स्वीकार किया जाये।

उक्त आदेशों के क्रम में, बिलिंग माह दिसम्बर, 05 से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की फार्म हाऊस श्रेणी के वे उपभोक्ता जिन्हें 24 घंटे बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है, के बिल भी नई दरों पर जारी किये जायें किन्तु बिलों का भुगतान पुरानी दरों पर लिया जाये एवं किसानों को नई दरों पर भुगतान के लिए जोर नहीं दिया जाये। उपरोक्त व्यवस्था बिलिंग माह जून, 2005 से जारी बिलों की बकाया राशि पर भी लागू होगी तथा ऐसे पूर्व में जारी बिलों की पुरानी दर की राशि की गणना उपखण्ड स्तर पर की जाकर बिल का भुगतान पुरानी दर पर स्वीकार किया जाये। बिलों के लेखांकन(Accounting) के बारे में दिशा निर्देश मुख्य लेखाधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर के द्वारा अलग से जारी किए जा रहे हैं। यह व्यवस्था अग्रिम आदेश तक जारी रहेगी।

आदेशानुसार

17.XI.2005

(एन.एम.सरीन)
उप मुख्य अभियन्ता(सी.पी.एण्ड आर.ई.)

my documents/orders.jpr